न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्याः 18/24 सन् 2024

जीसीएमएस संख्याः 2024/123

बउनवानीः—सीताराम पुत्र श्री मांगीलाल माली नि0 भैडोला तह0 चौथ का बरवाड़ा

बनाम

बजरंगलाल पुत्र रामदेवा बैरवा नि0 ग्राम भैडोला तह0 चौथ का बरवाड़ा

(अपील तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा के प्रकरण संख्या 23/2022 अन्तर्गत धारा 183बी, में पारित आदेश दिनांक 11.11.2022 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितः—1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल — वकील अपीलांट

2. श्री मुकेश बंसल — वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— **दिनांक 25.3.2026**

अपील अपीलांट ने तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 23/2022 अन्तर्गत धारा 183 बी, में पारित आदेश दिनांक 11.11.2022 के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जेर अपील विधि विरुद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलांट द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जेर अपील विधिविरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि खसरा नं0 280 रकबा 0.3200 है0 वाके ग्राम भैडोला अकेले बजरंग लाल के साथ साथ गोपाल व हजारी पिसरान् रामदेवा संयुक्त खातेदार हैं। जिनको प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार हैं। इसलिये उक्त प्रकरण को खारिज करना चाहिये था। लेकिन इस बिन्दु पर विचार नहीं कर अदालत मातहत ने भूल की है। खसरा नं0 280 रकबा 0.32 है0 में बजरंगलाल का हिस्सा 1/3 लगभग 0.1100 एयर बनता है। यदि खसरा नं0 280 रकबा 0.3200 है0 में से 0.1600 है0 भूमि पर अपीलांट का कब्जा होता तो निश्चित रूप से अन्य सहखातेदारान भी कार्यवाही करते लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना सिद्ध करता है कि रेस्पोडेन्ट ने असत्य प्रकरण दर्ज कराया है। खसरा नं0 280 से लगा हुआ रकबा अपीलांट की सहखातेदारी की आराजी खसरा नं0 285 का है, रेस्पोडेन्ट का खसरा नं0 280 में हिस्सा 1/3 है। उसका वर्तमान में खसरा नं0 280 के 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट ने खसरा नं0 285 अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात पर कब्जा करने के उद्देश्य असत्य प्रकरण बनाने का प्रयास किया है। खसरा नं0 285 के खातेदार चन्द्रकला, बीना, सुमन, राजकुमार, महेन्द्र सुरेश पिसरान् प्रभू रतीराम रामसहाय पिसरान् मांगीलाल जाति माली निवासी भैडोला खातेदार है तथा अपीलांट के साथ साथ सभी सहखातेदार खसरा नं0 285 पर संयुक्त रूप से काबिज हैं। यदि खसरा नं0 280 पर अपीलांट का कब्जा होता तो निश्चित रूप से खसरा नं0 285 के सभी खातेदारो का भी कब्जा होता है। सभी उक्त सहखातेदारो के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना सिद्ध करता है कि खसरा नं0 285 खातेदारान का खसरा नं0 280 पर कब्जा नहीं है। इसलिये सभी सहखातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया उक्त तथ्यो की अवहेलना कर जो आदेश जारी किया वह काबिले निरस्त है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है इस प्रकार अपीलांट की विधिवत तामील कराये बिना, अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना पारित आदेश जेर अपील विधिविरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.09.2024 को पटवारी हल्का से होने पर प्रार्थी ने दिनांक 20.9.2024 को तहसील में नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर दिनांक 23.09.2024 को

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

नकल तैयार होकर प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा–5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा अपनी लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिल्कुल सही कानून के मुताबिक पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा यह कहना की खसरा नम्बर 280 रकबा 0.3200 है. वाके ग्राम भैडोला अकेले बजरंग लाल के साथ गोपाल व हजारी पि. रामदेवा संयुक्त खातेदार है जिनको इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिये उपरोक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं है इस बारे में रेस्पोडेन्ट नं. एक का कहना है कि रेस्पोडेन्ट बजरंग लाल व गोपाल व हजारी तीनो सगे भाई है। तीनो भाईयो ने अपनी जमीन आपस में बांट रखी है। कुल भूमि खसरा नम्बर 272, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 1440, कुल किता 10 कुल रकबा 4.95 है। जिसमे से खसरा नम्बर 280 बजरंग लाल के हिस्से में है तीनो भाईयों ने जमीन का बंटवारा आपस में बहुत पहले कर लिया और खसरा नम्बर 280 रकबा 0.32 हैक्टर भाई बंटवारे में बजरंग लाल के हिस्से में आया जिसे वह वर्षों से काश्त कर रहा है एवं तीनो भाईयो मे आपस में कोई विवाद नहीं है ना ही रेस्पोडेन्ट नम्बर एक के अलावा अन्य दोनो भाईयो ने कोई आपत्ति पेश की गयी है। ख.न. 280 पर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी व कब्जाशुदा जमीन है। एवं अन्य दो भाईयो का इस खसरा से कोई संबंध नहीं है और ना ही रेस्पोडेन्ट से इनका कोई विवाद है उनके हिस्से मे अन्य खसरा नम्बर आ गये जिनको वह जोत रहे है।

रेस्पो. बुजुर्ग व्यक्ति है और उसकी जमीन पर अपीलान्ट द्वारा कब्जा कर रखा है अपीलांट का यह कथन कि वह खसरा नम्बर 285 पर कब्जा करना चाहता है पूर्णत गलत असत्य निराधार है इस संबंध में एक भी शिकायत अपीलांट ने की हो तो वह पेश कर दे। खसरा नम्बर 285 के सभी खातेदारो के बारे में हमे कोई जानकारी नही अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 280 की 16 एयर जमीन पर कब्जा कर रखा है। उपरोक्त प्रकरण में माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की गई है जिसमे अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन पर अनाधिकृत तरीके से जनरल जाति के व्यक्ति द्वारा कब्जा करने पर उन्हें संरक्षण प्रदान करती है उपरोक्त प्रकरण में भी खसरा नम्बर 280 रकबा 0.32 हैक्टर वाके ग्राम भैडोला बजरंग लाल का है जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। उस पर सामान्य जाति के व्यक्ति अपीलांट द्वारा कब्जा कर रखा है जिसकी शिकायत रेस्पो. सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में करने पर तहसीलदार साहब चौथ का बरवाड़ा द्वारा मौके की पटवारी व गिरदावर से रिपोर्ट मंगवाई गई मुताबिक जांच रिपोर्ट 28–6–22 द्वारा ग्राम भैटोला के खसरा नम्बर पर सीताराम पुत्र मांगीलाल माली द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है रिपोर्ट आने पर अपीलांट को दि. 12/7/22 को नोटिस जारी किया गया जिसमे 26–7–22 तारीख पेशी थी। जिसमे अपीलांट की तामील हो गई लेकिन वह उपस्थित नही हुआ फिर पुनः नोटिस जारी किये गये जिसमे 3–8–22 तारीख पेशी नियत थी जिसमे उसका पुत्र उपस्थित हुआ व जवाब का समय चाहा फिर 22/8/22 तारीख पेशी गई जिसमे जवाब का समय आया फिर 17–10–22 की तारीख पेशी गई जिस पर कोई उपस्थित नही आया फिर पुन नोटिस जारी किये गये 7–11–22 तारीख पेशी थी कोई नही आया फिर न्यायालय द्वारा दिनांक 11/11/22 को फैसला कर दिया गया इस प्रकार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने अनेको अवसर देने के बाद भी उपस्थित नही हुआ और अपील में कहते है कि हमे नोटिस नही मिला जो किसी भी रूप में स्वीकार नही है। इसके उपरांत तहसीलदार साहब चौथ का बरवाड़ा के आदेश के द्वारा 8–8–23 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भूमि नाप कर कब्जा संभलवाया गया लेकिन इसके

(कानाराम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपरांत भी पुन अपीलांट द्वारा कब्जा कर लिया गया और तहसीलदार साहब चौथ का बरवाड़ा द्वारा दिनांक 11/3/25 को अपीलांट के विरुद्ध कार्यवाही के लिये डिप्टी साहब ग्रामीण को लिख दिया गया है। इस तरह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की नाप की जाकर कब्जा संभलवाया गया। जिस पर अपीलांट ने हस्ताक्षर करने से मना किया इस तरह अपीलांट इस बात से भी नही मुकर सकता की उसे इस बात की जानकारी नही थी। अपीलांट यह कहकर कि रेस्पोडेन्ट व उसके भाईयो के मध्य तकासमा नही हुआ वह बच नही सकता अपीलांट ने कही भी यह नही कहा कि इस खसरा नम्बर पर मेरा कब्जा नही है। एवं 183 बी मे यह कही भी लिखा हुआ नही है कि जमीन का तकासमा नही होने पर 183 बी की कार्यवाही नही कर सकती जबकि उपरोक्त प्रकरण मे तीनो भाईयो मे वर्षों पूर्व तकासमा हो चुका है खसरा नम्बर 280 को रेस्पोडेन्ट जोत रहा है व अन्य खसरा नम्बरानो बंटवारे में उनके भाईयो के हिस्से में आये जिनको वह जोत रहे है। उपरोक्त प्रकरण में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन पर कब्जा जनरल जाति अपीलांट का होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिल्कुल सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर आदेश जेर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया।

वकील उभय पक्षो द्वारा किये गये कथन को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि वाके ग्राम भैडोला के ख0न0 2802 रकबा 0.32 है0 जो कि रेस्पो. की खातेदारी मे दर्ज है उसपर अपीलान्ट द्वारा कब्जा कर लेने से अपीलान्ट को बेदखल करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट को सुनवायी हेतु विधिवत नोटिस जारी किये जाने पर नियत दिनांक 3.8.2022 को अपीलान्ट का पुत्र उपस्थित हुआ व जवाब का समय चाहा जाने पर जवाब हेतु दिनांक 22.8.2022 नियत की गयी किन्तु अपीलान्ट द्वारा कोई जवाब पेश नही किये जाने पर जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2022 को आदेश जैर अपील पारित किया गया है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि आदेश जैर पारित करने से अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया था। अपीलान्ट द्वारा किया गया यह कथन कि रेस्पो. आदेश जैर अपील की आड में उसकी खातेदारी भूमि ख0न0 285 पर कब्जा करना चाहता है के समर्थन मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट का कथन भी उचित नही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य खातेदारान को पक्षकार नही बनाया इसलिए अपील खारिज फरमायी जावे। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे अन्य खातदारान का हित प्रभावित नही हुआ है तथा विवादित भूमि पर केवल अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है। इसलिए इस आधार पर अपील खारिज किया जाना विधिसम्मत नही है। उक्त तथ्यों के आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner